सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 412/17 **निर्णय दिनांक : 15.01.2018**

1. रेवन्तगिरी पुत्र रूपगिरी जाति स्वामी निवासी ग्राम बीकासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29–03–1984

सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 29–03–1984 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सहालकार समिति की राय से चक 11 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 178/43 के किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानकर दिनांक 29–03–1984 को आवंटित की गई। उक्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही कृष्णलाल पुत्र मालीराम जाति जाट को आवंटनशुदा भूमि थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है तो पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि थी ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे वे आवंटन अधिकारी का निर्देशित किया जावे कि अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुसार उसी अनुरूप अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–03–1984 के विरूद्व अपील दिनांक 06–11–17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को भूमिहीन आवंटन के तहत आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सहालकार समिति की राय से चक 11 आरडीवाई के मुरब्बा नम्बर 178/43 के किला नम्बर 1 ता 24 में 24 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र मानकर दिनांक 29–03–1984 को आवंटित की गई।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 23–07–2009 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर